रजि० सं० डी० (डी० एन०)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 1989/चैत्र 30, 1911
No. 211] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 1989/CHAITRA 30, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1989

सा. का. नि. 455(अ) :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 13 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह "ख" और "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह "ख" और "ग" पद) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो पूर्वोक्त अनसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट है ।

5. विद्यमान कर्मचारियों का आमेलन और नियमितीकरण : (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ऐसे निजी सचिव, ज्येष्ठ निजी सहायक, आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' का पद धारण कर रहे हैं और जो इन नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हैं और जो विभागी प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैं संबंधित श्रेणी में इस शर्त के अधीन रहते हुए आमेलन नियमितीकरण के पात्र होंगे कि ऐसे व्यक्ति आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करते हैं और उनके मूल विभाग को अधिकरण में उनके आमेलित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की ज्येष्ठता का अवधारण संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति के प्रति निर्देश से किया जाएगा ।

परन्तु एक ही स्त्रोत से भर्ती किए गए और मूल विभाग में उनके द्वारा धारित पदों में अधिकारियों की ज्येष्ठता में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(3) आमेलन के लिए व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा ।

6. निरर्हता :— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

अधिकरण में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार, द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में निजी सचिव के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
निजी सचिव	58* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	2000-60-2300 द. रो.-75-3200-100-3500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	आयु की अर्हता लागू नहीं होगी किन्तु आशुलिपिक श्रेणी "ग" के लिए भर्ती नियमों के अनुसार शैक्षिक अर्हता और आशुलिपिक में प्रवीणता के साथ 8 वर्ष का अतिरिक्त अनुभव।	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति—(1) ऐसे ज्येष्ठ निजी सहायक जिन्होंने 2 वर्ष सेवा की है और जिन्हें आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट और टाइपलेखन (अंग्रेजी) में 40 शब्द प्रति मिनट की गति है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: (1) ऐसे व्यक्ति जो 2000–3500 रुपये के वेतनमान में निजी सचिव या सदृश पद धारण कर रहे हैं। (2) 2000–3200 रुपए वेतनमान में से ज्येष्ठ निजी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है या आशुलिपिक श्रेणी 'ग' (कोर्ट मास्टर) या ऐसे व्यक्ति जो 9 वर्ष सेवा के साथ सदृश पद धारण कर रहे हैं। टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
उपाध्यक्ष केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्देशित किया जाए— ...अध्यक्ष सदस्य (जो अध्यक्ष) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम-निर्देशित किया जाए— ...सदस्य रजिस्ट्रार, प्रधान न्यायपीठ— ...सदस्य	लागू नहीं होता।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ज्येष्ठ निजी सहायक के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ निजी सहायक	15* 1989 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	2000-60-2300 द. रो.-75-3200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	आयु संबंधी अर्हता– लागू नहीं होती किन्तु शैक्षिक अर्हता और आशुलेखन में प्रवीणता लागू होगी।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति (1) 50 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे श्रेणी ग आशुलिपिकों (कोर्ट मास्टर) में से जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है, ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के अस्वीकृत किए जाने के अधीन रहते हुए भरी जाएगी। (ii) 50 प्रतिशत रिक्तियां समूह 'ग' आशुलिपिकों म स जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष अनुमोदित सेवा की है और जिनकी आशुलेखन 120 शब्द प्रति मिनट और टाइप लेखन (अंग्रेजी) में 40 शब्द प्रति मिनट की गति है अधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर आयोजित विभागी परीक्षा के परिणाम स्वरूप योग्यता के आधार पर भरी जाएगी।

11	12
	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण (i) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय आदि में 2000-3200 रुपये वेतनमान में ज्येष्ठ निजी सहायक या सदृश पद धारण कर रहे हैं। (ii) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय आदि में 1400-2600 रुपए वेतनमान में 7 वर्ष सेवा सहित कोर्ट मास्टर या सदृश पद धारण कर रहे हैं। टिप्पणी :— (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा – अध्यक्ष सदस्य (जो अध्यक्ष केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) – सदस्य रजिस्ट्रार प्रधान न्यायपीठ – सदस्य	लागू नहीं होता।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आशुलिपिक श्रेणी "ग" (कोर्ट मास्टर) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
कोर्ट मास्टर (आशुलिपिक श्रेणी-ग)	57* 1989 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द. रो.-60-2600 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) आशुलेखन (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइप लेखन गति हो। वांछनीय : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। (2) आशुलेखन में 120 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइप लेखन गति होनी चाहिए।	नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : (i) 25 प्रतिशत रिक्तियां श्रेणी "घ" आशुलिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है उनकी ज्येष्ठता के क्रम में अयोग्य के अस्वीकृत किए जाने के अधीन रहते हुए प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी। (ii) 25 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे श्रेणी "घ" आशुलिपिकों में से जिन्होंने 3 वर्ष से अन्यून सेवा की है अधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय समय पर आयोजित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर योग्यता क्रम से भरी जाएंगी। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (क) (i) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों में या उच्च न्यायालय आदि में सदृश पद धारण कर रहे हैं। (ii) ऐसे व्यक्ति जो आशुलिपिक श्रेणी "ख" का पद धारण कर रहे हैं और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या उच्च न्यायालय आदि में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं। टिप्पणी : (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
सदस्य—अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित—अध्यक्ष रजिस्ट्रार—सदस्य उप-रजिस्ट्रार—सदस्य	लागू नहीं होता

अनुबंध—1

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आशुलिपिक श्रेणी घ के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक श्रेणी "घ"	33* 1989 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) आशुलेखन (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइप लेखन गति। वांछनीय :—,अर्हता-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
सीधे भर्ती जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जिन्होंने 950-1500 रुपए वेतनमान वाले निम्न श्रेणी लिपिक या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित अर्हताएं हैं। टिप्पणी : (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में उस इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) स्थानान्तरण : जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय के कार्यालय में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
रजिस्ट्रार—अध्यक्ष संयुक्त रजिस्ट्रार—सदस्य उप रजिस्ट्रार—सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए-12018/3/88-ए.टी.]
श्रीमती वत्सला जी. कुट्टी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1989

G.S.R. 455 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' and 'C' posts in the Central Administrative Tribunal, namely:—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal, Stenographers Service (Group 'B' & 'C' posts) Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

IndiaCode

2. Application:—These rules shall apply to the posts mentioned in the column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 5 of the said schedule.

4. Methods of recruitment, age limit, qualifications, etc. :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the schedule aforesaid.

5. Absorption/regularisation of existing employees:—(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons holding the posts of Private Secretary, Senior Personal Assistant, Stenographer Grade 'C' and Stenographer Grade 'D' in the Central Administrative Tribunal on the date of commencement of the rules either on transfer or on deputation basis and who fulfil the qualifications and experience laid down in these rules and who are considered suitable by the Departmental Promotion Committee shall be eligible for absorption/regularisation in the respective grade subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption and that their parent Departments do not have any objection to their being absorbed in the Tribunal.

(2) The seniority of officers mentioned in sub-rule (1) shall be determined with reference to the dates of their regular appointment to the posts concerned:

Provided that the seniority of officers recruited from the same source and in the posts held by them in the parent Department shall not be disturbed.

(3) The suitability of persons for absorption may be considered by a Departmental Promotion Committee.

6. Disqualification :— No person:—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to any post in the Tribunal :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is persmissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax :—Where the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for Private Secretary in the Central Administrative Tribunal

Name of the post	No. of posts*	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Private Secretary	58* (1989)	General Central Services Group 'B', Gazetted Ministerial	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Selection

*Subject to variation dependent on work load. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules), 1972.	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
6	7	8
N.A.	N.A.	N.A.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Age qualification will not apply. However education qualification and proficiency in shorthand as per recruitment rule for Steno Gr. 'C' with additional experience of 8 years.	N.A.	By promotion failing which by transfer on deputation.

IndiaCode

In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in whic h UPSC is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : (1) Senior Personal Assistant with 2 years of service possessing 120 w.p.m. speed in Shorthand and 40 w.p.m. in typing (English) By transfer on deputation : (i) Persons holding the post of Private Secretary or analogous post in the scale of 2000-3500. (ii) Senior Personal Assistant in the scale of 2000-3200 with 2 years regular service in that grade or Steno Grade 'C' (Court Master) or persons holding analogous post with 9 years of service. Note : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.	Vice-Chairman (to be nominated by the Chairman, C.A.T.) —Chairman Member (to be nominated by the Chairman, CAT) —Member Registrar, Principal Bench —Member	N.A.

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post.
1	2	3	4	5
Senior Personal Assistant	15* (1989)	General Central Services Group 'B' Gazetted Ministerial.	2000-60-2300-EB-75-3200.	Non-Selection

*Subject to variation dependent on work load. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.

Recruitment Rules for Senior Personnal Assistant in the Central Administrative Tribunal

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules), 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits.
6	7	8
N.A.	N.A.	N.A.

IndiaCode

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of Rectt.: Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Age qualification will not apply. However, educational qualification and proficiency in shorthand will apply.	Two years.	By promotion or by transfer/transfer on deputation.

In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : (i) 50% of vacancies shall be filled in by promotion from amongst Grade 'C' stenographer (Court Master) who have rendered not less than 7 years' regular service in the Grade in order of their seniority (subject to the rejection of the unfit). (ii) 50% of the vacancies shall be filled in amongst Grade 'C' Stenographer who should have rendered not less than 5 years of approved service in the Grade having speed of not less than 120 w.p.m. in Shorthand and 40 w.p.m. in typing (English) in the order of merit on the result of the departmental competitive examination held from time to time for this purpose by the Tribunal. Transfer on deputation/Transfer : (i) Persons holding the post of Senior Personal Assistant or analogous post in the scale of Rs. 2000-3200 in Central/State Government/ High Courts etc.	Vice-Chairman (to be nominated by the Chairman, CAT) —Chairman Member (to be nominated by the Chairman, CAT) —Member Registrar, Principal Bench—Member	N.A.

12	13	14
(ii) Person holding the post of Court Master or analogous post in scale of 1400-2600 with 7 years service in Central/State Government/ High Court etc. Note : The period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.		

Recruitment Rules for Steno Grade 'C' (Court Master) in the Central Administrative Tribunal

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Court Master (Steno Gr. 'C')	57* (1989)	General Central Service Group-B Non-Gazetted Ministerial.	1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.	Non-selection

*Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules), 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
N.A.	18-25 years. Relaxation for Government servants upto 5 yrs. in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India.	Essential : (1) Matriculation or equivalent. (2) A speed of 100 w.p.m. in Shorthand (English) and typing speed of 30 w.p.m. in English. Desirable : (1) Degree from recognised university. (2) A speed of 120 w.p.m. in shorthand and typing speed of 30 w.p.m. in English.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if, any	Method of Rectt.: Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/taransfer & percentage of the vacancies to be filled by tvarious methods
9	10	11
No	2 years	(i) 50% by direct recruitment. (ii) 50% by promotion failing which by transfer or transfer on deputation.

In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
12	13	14
Promotion : (i) 25% of the vacancies shall be filled in by promotion from amongst Gr. 'D' Stenographers who have rendered not less than 5 years regular service Grade in the order of their seniority (subject to the rejection of the unfit). (ii) 25% of the vacancies shall be filled in amongst Gr. 'D' Stenographers who have rendered less than 3 years of service in the order of merit on the result of the departmental competitive examination held from time to time for this purpose by the Tribunal. Transfer/Transfer on deputation : (a) (i) Persons holding analogous posts in Central Govt./State Govt. or in High Courts etc. (ii) Persons holding the post of Stenographer Gr. 'D' with five years regular service in the Central Government/State Government or High Court etc.	Member (nominated by the Chairman) —Chairman Registrar —Member Deputy Registrar —Member	N.A.

India Code

12	13	14
(b) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits. Note : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		

Recruitment Rules for Steno Grade 'D' in the Central Administrative Tribunal

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Steno Gr. 'D'	33* (1989)	General Central Service Group 'C' Non-gazetted Non-Ministerial.	1200-30-1560-EB-40-2040.	N.A.

*Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
N.A.	18-25 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India.	Essential : (1) Matriculation or equivalent. (2) A speed of 80 w.p.m. in short hand (Eaglish) (3) A typing speed of 30 w.p.m. in English. Desirable : Qualification : Degree in recognised University.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of Rectt. : Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
N.A.	Two years	Direct recruitment failing which by transfer/transfer on deputation.

In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
12	13		14
Deputation : (i) holding analogous post in regular basis or (ii) with 8 years of service in LDCs in the scale of Rs. 950-1500 or equivalent and possessing the qualifications prescribed for direct recruit under col. 8. Note : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. Transfer : Holding analogous post in regular basis in the office of Central/State Government/High Court.	Registrar Joint Registrar Deputy Registrar	—Chairman —Member —Member	N.A.

[No. A-12018/3/88-AT]
Smt. P.V. VALASALAG KUTTY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989

IndiaCode